

(वीपी कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : T.N. 20/20

प्रकरण दर्ज दिनांक

आवेदक : मेसर्स (उपरोक्त) अन्तर्गत, U/s Section 24

CGRERA-P. No. 111/2019-00750

आदेश कार्यवाही की
तारीख व स्थान

आदेश अथवा कार्यवाही

पक्षकार अथवा प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर

25-09-2021

प्रकरण आज V.C के माध्यम से सुनवाई में लिया गया।
आवेदकगण द्वारा श्री डेगेश्वर बंजारे अधिवक्ता।
अनावेदिका द्वारा श्री शुक्ला अधिवक्ता।
अनावेदिका के अधि. श्री शुक्ला के द्वारा माननीय
प्राधिकरण द्वारा पारित संशोधित आदेश की प्रति प्रस्तुत की
जिसमें श्रीमती पूनम साहू के भूखण्ड क्रमांक 536, 527 को
संशोधित कर क्रमांक 536, 537 किया गया है। उक्त आदेश की
प्रति अभिलेख पर ली गई।

आवेदकगण की ओर से उनके अधिवक्ता श्री डेगेश्वर
बंजारे ने ईमेल के माध्यम से दिनांक 07.09.2021 को बल नहीं
देने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया था। उक्त आवेदन में निवेदन
किया गया कि आवेदकगण के द्वारा अनावेदिका श्रीमती पूनम
साहू के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित किया जा चुका है
इस कारण वे निष्पादन आवेदन पत्र पर बल नहीं देना चाहते हैं
और प्रकरण नस्तीबद्ध किया जावे। आवेदन के साथ विक्रय पत्र
की प्रति भी प्रस्तुत की गई है। ईमेल किये गए आवेदन एवं
विक्रय पत्र की प्रति अभिलेख पर ली गई। आवेदकगण प्रस्तुत
निष्पादन आवेदन पत्र पर बल नहीं देना चाहते हैं परिणमतः
निष्पादन आवेदन खारिज किया जाता है।

प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जाए।

न्याय निर्णायक अधिकारी
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर